न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 240/14 (वाद)
GCMS No. : 2014/00011

अनवान

1. श्री अरविन्द कुमार पिता प्रकाशमल चतुर निवासी 21 नवलोक नवरत्न कॉम्पलेक्स, उदयपुर।
2. श्री सिद्धार्थ कुमार पिता प्रकाशमल जी चतुर, आयु वयस्क, निवासी बी 3–ए नवलोक नवरत्न कॉम्पलेक्स, उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री मुकेश चपलोत पिता मांगीलाल चपलोत निवासी नवकार रेस्टोरेन्ट सनवाड रोड फतहनगर तह. मावली।
2. श्री राजेश धर्मावत पिता मदनलाल धर्मावत निवासी राजकीय चिकित्सालय के सामने, मेडिकल स्टोर फतहनगर तह. मावली।
3. श्री मयंक पिता सुन्दरलाल हिंगड निवासी इन्दिरा कॉलोनी फतहनगर, तह. मावली।
4. श्री विजय पिता श्याम सुन्दर सोनी निवासी मेन चौराहा फतहनगर तह. मावली।
5. श्रीमती उषाकुमारी पत्नी अभयकुमार जी चतुर निवासी L–1/10, जयश्री कॉलोनी, उदयपुर।
6. श्रीमती कान्ता पत्नी महेश धन्नावत निवासी 15 अशोक विहार, युनिर्वसीटी रोड उदयपुर।
7. श्री अभय कुमार पिता प्रकाशमल चतुर निवासी L–1/10, जयश्री कॉलोनी, उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.10.2024

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की आराजी नम्बर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 26 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा स्थित हैं। जो समस्त अभिलेखों में वादीगण के नाम दर्ज बराबर के अनुसार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात के पूर्व दिशा में वादीगण द्वारा थोडी–थोडी दूरी पर पत्थर गढी कर सीमादेही कर रखी हैं। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण का कब्जा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा हैं। उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं होते हुए भी वे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते रहते है एवं प्रतिवादीगण एनकेन प्रकारेण वादीगण की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में जबरन कब्जा करने का प्रयास करते रहते है। इस हेतु प्रतिवादीगण मौके बे–मौके उक्त आराजीयात के पूर्व दिशा में स्थित पत्थरगढी को हटाने का प्रयास करते रहते हैं। प्रतिवादीगण, वादीगण की उपरोक्त आराजीयात में घुस कर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नहीं हैं।

3. यह कि प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जिसकी मदद से वे उक्त वर्णित आराजीयात में जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को धमकीयां देते है कि वादीगण उपरोक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण को ओने–पोने दामों में विक्रय कर दे, नही ंतो वे वादीगण की जमीन पर जबरन कब्जा करके रहेंगे। प्रतिवादी सं. 5 से 7 के उकसावे से प्रतिवादी सं. 1 से 4 वादीगण की उपरोक्त आराजीयात में जबरन दखलन्दाजी करते रहते है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 को ज्ञान है कि वादीगण समय–बसयम पर ही फतहनगर आते है एवं लगातार रूप से फतहनगर निवास नहीं करते है, जिससे प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में जबरन कब्जा करने पर उतारू रहते है। हाल ही में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उक्त आराजीयात के पूर्व दिशा की सीमादेही में से कुछ पत्थरों को उखाडकर फेंक दिया गया। जिसकी सूचना वादीगण को उदयपुर में प्राप्त होने पर वे दिनांक 13.10.2014 को फतहनगर गये व प्रतिवादी सं. 1 से 4 को इस हेतु उलाहना दिया तो प्रत्युत्तर में उपरोक्त प्रतिवादीगण द्वारा कहा गया कि वादीगण के खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को वादीगण उन्हे बेच देवे नही ंतो वे जबरन कब्जा करके रहेगे। प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार की धमकीयां दिये जाने से वादीगण को भय उत्पन्न हो गया है कि प्रतिवादीगण कभी भी वादीगण की उपरोक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर [illegible], जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक [illegible] गया है। इसी हेतु वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

4. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा आये दिन वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात मे जबरन कब्जा करने बाबत् धमकीयां दिये जाने से व अंतिम बार दिनांक 13.10.2014 को धमकीयां दिये जाने से स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण उत्पन्न हुआ।

5. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि स्थायी निषेधाज्ञा पारित कराई जावे कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजीयात में प्रवेश नहीं करे, वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करे, न ही उक्त आराजीयात के पूर्व दिशा में स्थित पत्थरगढी को हटाने का प्रयास करे, न ही उक्त आराजीयात से वादीगण को जबरन बेदखल करे, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से ही करावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 5 व 7 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने उक्त आराजीयात में स्व. श्री प्रकाशमल जी चतुर के सभी वारिसान का बराबर–बराबर हक व हिस्सा होने के बावजूद भी गलत तथ्य प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार मावली से नामान्तरकरण आदेश प्राप्त कर लिया और यह आदेश प्राप्त होते ही तुरन्त ही वादीगण ने अपने नाम पर उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण करवा दिया जबकि उक्त आराजीयात में सभी वारिसान का आज दिनांक को भी कानूनन बराबर–बराबर हक व हिस्सा है। केवल नामान्तरकरण आदेश से किसी को भी स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार निहित नहीं हो जाते हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल एक प्रोसीजरल कार्यवाही है, विधिक स्थिति नामान्तरकरण की कार्यवाही से परिवर्तित नहीं हो जाती हैं।

7. वादीगण ने उक्त आराजीयात की पूर्व दिशा में थोडी–थोडी दुर पर पत्थरगढी कर सीमादेही कर रखी है और उनका कब्जा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक चला आ रहा हो। मौके पर किसी प्रकार की कोई पत्थरगढी नहीं हैं। न ही उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर आज वादीगण का अधिकार हैं। स्वयं वादीगण ने और उसके पूर्व सुरजकुमारी ने उक्त आराजीयात में से कुछ भाग विक्रय कर दिया था। जिसमें से एक हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

विलेख किया गया था। ऐसे में वादीगण का यह वर्णित करना कि उनके द्वारा सीमादेही कर पत्थरगढी करवा रखी है और उनका कब्जा है, पूर्णतया गलत हैं।

8. यह कि वादीगण का वाद प्रस्तुत करने का कोई आधार ही नही था क्योंकि वादीगण के पूर्व ही श्रीमती सुरजकुमारी द्वारा उक्त आराजीयात का बडा हिस्सा विक्रय किया जा चुका था और यह समस्त हिस्सा विधिवत रूप से नगरपालिका फतहनगर को समर्पित होकर लम्बे समय पूर्व इस आराजीयात के कुछ भाग के पट्‌टे भी जारी किए जा चुके है। ऐसे में वादीगण का बनावटी तौर यह वर्णित करना कि जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा अथवा दखलन्दाजी की जा रही है और पत्थरगढी हटाने का प्रयास किया जा रहा है, पूर्णतया बनावटी एवं काल्पनिक अभिवचन हैं। वर्ष 2005 में ही उक्त आराजीयात के कुछ भाग के पट्‌टे जारी किए जा चुके है, ऐसे में उक्त आराजीयात का यह भाग, कृषि भूमि में रहा ही नहीं हैं। जिस भाग का वादीगण विवाद लेकर आए है, उस भाग का कृषि भूमि से आवासीय में रूपान्तरित हो जाने से वर्तमान में यह वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे हो गया है। यदि वादीगण को किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहिए तो समक्ष सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे में वादीगण का मौजुदा वाद आदेश–7 नियम–11 सीपीसी के तहत क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण ने जानबूझ कर माननीय न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों को छिपाया है कि उक्त आराजियात के एक बडे भाग का भू रूपान्तरण कर आवासीय में परिवर्तित कर दिया गया है और उसके पट्टे वर्ष 2005 में जारी कर दिए गए थे, वर्ष 2005 से वर्ष–2014 लगभग 10 वर्षों की अवधि तक वादीगण चुपचाप देखते रहे और फिर माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्य प्रस्तुत कर यह वाद प्रस्तुत कर दिया, जो खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण को समस्त जानकारी होने के बाद भी आज दिनांक तक वादीगण ने किसी भी न्यायालय में रूपान्तरण आदेश के साथ–साथ पट्टे निरस्त करने हेतु कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है, इसी से वादीगण की वास्तविकता का खुलासा हो जाता है।

9. प्रतिवादी संख्या 5 व 7 भी उसी परिवार से सम्बन्ध रखते है, जिस परिवार से वादीगण का सम्बन्ध है और वादीगण नाजायज गिरोह वर्णित कर रहे है। वादीगण ने यह कही वर्णित नहीं कि जिस आराजियात का विवाद लेकर आए है, उस आराजियात को वर्षो पूर्व विक्रय किया जा चुका है और भू रूपान्तरण कर नगर पालिका फतहनगर द्वारा पट्टे भी जारी किए जा चुके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की वादीगण से कोई बोलचाल ही नहीं है तो धमकिया दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है। असल में वादीगण उस भाग पर कब्जा करने पर आमादा है, जिस भाग को वर्षों पूर्व वादीगण की सहमति से सुरजकुमारी द्वारा विक्रय किया जा चुका है और अपराधी स्वयं वादीगण होने के बावजूद वादीगण प्रतिवादी पर झूठे आरोप मण्डित कर रहे है। यह भी पूर्णतया गलत है कि पूर्व दिशा की सीमादेही में कुछ पत्थरों को उखाड कर फैका गया हो, सच्चाई यह है कि स्वयं वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा करने की नियत से उस सीमा को नहीं मान रहे है, जिस सीमा तक उनका अधिकार है और जबरन उस भाग में अपना अधिकार बताते है, जिस भाग को स्वयं सुरजकुमारी द्वारा वर्षों पूर्व विक्रय किया जा चुका है। दिनांक 13.10.2014 वाली घटना काल्पनिक है, वादीगण ने पुलिस थाना फतहनगर में योजनाबद्ध तरीके से प्रतिवादीगण को अपराधी बनाने की गरज से मिलीभगत कर लडाई झगडा फ्रेम किया जबकि मौके पर किसी प्रकार का लडाई झगडा नहीं हुआ। वादीगण अपने साथ आपराधिक तत्वों को भी लेकर आए और फिर बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। सारी कार्यवाही को योजनाबद्ध तरीके से मिलीभगत से किया गया। जबकि सच्चाई यह है कि वादीगण विक्रय कर दी गई, रूपान्तरित कर दी गई भूमि पर कब्जा करना चाहते है, जो प्रतिवादीगण को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। धमकिया तो वादीगण की और से दी जा रही है। वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

10. वादीगण न तो कोई वाद कारण है न ही कोई विधिक आधार। दिनांक 13.10. 2014 की कहानी पूर्णतया बनावटी एवं मनगढंत है, जिसे योजना बना कर बिना किसी आधार के तैयार किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है।

11. यह कि वादीगण किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

12. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 7 स्व. श्री प्रकाशमल जी चतुर के वारिसान होकर संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। जिनके मध्य पूर्व में सम्पत्ति के वि[illegible] के लिए वाद चले थे एवं वर्तमान में भी वाद लम्बित है। यह कि वादीगण जो [illegible] स्व. श्री रोशनलाल जी चतुर के परिवार से सम्बन्ध रखते है, के तीन [illegible] क्रमशः श्री मनोहर लाल चतुर, श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

पार्श्वचन्द जी चतुर एवं श्री प्रकाशमल जी चतुर हुए। यह की श्री रोशनलाल जी चतुर का देहावसान फरवरी, 1962 में हो गया था। उनके देहावसान से पूर्व तक समस्त सम्पत्तियां संयुक्त परिवार की सम्पत्तियां रही, उनके देहावसान के पश्चात परिवार में उनकी सम्पत्तियों को लेकर विभाजन का विवाद होने पर श्री महेन्द्रकुमार एवं श्री सुरेन्द्रकुमार चतुर द्वारा अपने पिता प्रकाशमल चतुर समेत अन्य भाईयों व पिता के भाईयों के विरूद्ध सम्पत्ति के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। यह वाद दिनांक 25.04.1990 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या–1, उदयपुर द्वारा राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित फरमाया गया। इस डिक्री के साथ एक नक्शा बनाया गया, जिसके अनुसार वादग्रस्त सम्पत्तियों का विभाजन किया गया। इस नक्शे एवं राजीनामे पर सभी पक्षकारान जिनमें श्री पार्श्वचन्द जी चतुर, श्री प्रकाशमल चतुर, श्री सिद्वार्थ चतुर, श्री अरविन्द चतुर, श्री ललीत चतुर, श्री महेन्द्र कुमार चतुर, श्री अभयकुमार जी चतुर एवं श्री सुरेन्द्रकुमार चतुर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस नक्शे के अनुसार मौजा फतहनगर उर्फ नया खेडा तहसील मावली जिला–उदयपुर में स्व. श्री रोशनलाल जी चतुर की सम्पत्तियों का वारिसान में विभाजन किया गया। इस के अनुसार लाल रंग से दर्शित सम्पत्तिया श्री पार्श्वचन्द्र जी चतुर को प्राप्त हुई। नारंगी रंग में दर्शित सम्पत्तियां श्री महेन्द्रकुमार श्री ललीत कुमार जी श्री अभयकुमार जी, श्री सुरेन्द्रकुमार जी, श्री अरविन्द एवं श्री सिद्वार्थ चतुर को प्राप्त हुई एवं हरे रंग से दर्शित सम्पत्तियां जो कि चंगेडी एवं फतहनगर की है, श्री प्रकाशमल जी चतुर को प्राप्त हुई।

13. यह कि प्रकरण संख्या 242/1985 में दिनांक 16.04.1990 को पारित राजीनामा पर भी सभी पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से सम्पत्तियों का विभाजन किया गयाः–

14. अ– कि वादग्रस्त सम्पत्ति में श्री पार्श्वचन्द जी का निम्न हिस्सा रखा गयाः–

खसरा नम्बर–18 मकानात 2 बीघा 15 बिस्वा

खसरा नम्बर–17 कृषि भूमि 10 बिस्वा

खसरा नम्बर–19 कृषि भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा

खसरा नम्बर–20 कृषि भूमि 1 बीघा 10 बिस्वा

खसरा नम्बर–21 कृषि भूमि 2 बीघा

खसरा नम्बर–13 कृषि भूमि 2 बीघा 15 बिस्वा

खसरा नम्बर–22 कृषि भूमि मय कुआ 8 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

पुरानी मेच फैक्ट्री के सारे मकानात साथ वाले आफिस भवन तथा साथ लगा कोर्ट यार्ड

फतहनगर की हवेली, जिसमें वर्तमान में रिहायशी (रहवास) कर रखा है।

फतहपुरा योजना (पोलोग्राउण्ड) में प्लाट नम्बर–173 में स्थित जमीन जिसका 1/3 हिस्सा यानि 9333 वर्ग फिट, जिसका पडौस निम्न प्रकार है :–

पूर्व–नेशनल हाईवे–8, पश्चिम–सेन्ट मेरिज स्कूल व उसके सामने सडक, उत्तर–बने हुए मकानात, दक्षिण–प्लाट नम्बर 173 का बाकी हिस्सा

15. ब– कि श्री प्रकाशमल जी का निम्न हिस्सा रखा गयाः– मौजा फतहनगर उर्फ नया खेडा तहसील–मावली

खसरा नम्बर–24 कृ.भू एवं मकान 8 बिस्वा

खसरा नम्बर–25 कृषि भूमि 13 बिस्वा

खसरा नम्बर–26 में से मकान (हल्के आबादी) 4 बीघा

खसरा नम्बर–26 में से कृषि भूमि 4 बीघा

खसरा नम्बर–27 कृषि भूमि 2 बीघा 8 बिस्वा

मौजा चंगेडी तहसील–मावली श्री रोशनलाल एण्ड सन्स की कृषि भूमि में खसरा नम्बर–380, 381, 382, 383 कुल जमीन 22 बीघा 3 बिस्वा मय कुआ।

16. स– कि श्री महेन्द्रकुमार जी, ललीत कुमार जी, अभय कुमार जी, सुरेन्द्र कुमार जी, अरविन्द कुमार जी, सिद्धार्थ कुमार जी का निम्न हिस्सा रखा गयाः–

मौजा चंगेडी उर्फ नया खेडा तहसील–मावली

खसरा नम्बर–15 मकानात व दुकाने 2 बीघा 10 बिस्वा

खसरा नम्बर–23 कृषि भूमि 10 बीघा 3 बिस्वा

खसरा नम्बर–26 में हल्के आबादी का 6 बीघा

खसरा नम्बर–26 कृषि भूमि का 1 बीघा 4 बिस्वा

फतहपुरा (पोलोग्राउण्ड) स्थित प्लाट नम्बर–173 की 18666 वर्ग फिट जमीन जिसका पडौस निम्न हैः–

पूर्व–नेशनल हाईवे नम्बर–8, पश्चिम–सेन्ट मेरिज स्कूल व उसके सामने सडक, उत्तर–इसी प्लाट का हिस्सा जो श्री पार्श्वचन्द जी चतुर के हिस्से का भाग, दक्षिण–श्री फली साहब का बंगला व उसके साथ वाली सडक।

मालदास स्ट्रीट, उदयपुर स्थित मकान [illegible] काश मल जी का हिस्सा जो उन्हे रौशनलाल जी चतुर को वसीयत द्वारा प्राप्त हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

17. यह की स्व. श्री प्रकाशमल जी चतुर पिता स्व. श्री रोशनलाल जी चतुर ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किए थे, उनकी पहली पत्नि श्रीमती सुगन कुंवर थी, उनके नुत्फे से उनके श्री महेन्द्रजी, श्री ललीत जी एवं श्री अभयजी एवं श्रीमती लक्ष्मी हुई। पहली पत्नि के असामयिक निधन के पश्चात उन्होने श्रीमती सुरज कुंवर से विवाह किया। दूसरे विवाह से उनके तीन पुत्र श्री सुरेन्द्र एवं वादीगण, श्री अरविन्द एवं श्री सिद्वार्थ एवं पुत्री श्रीमती कुसुम हुए। किन्तु प्रकाशमल जी चतुर जो कि अपनी दुसरी पत्नि से अधिक दबाव में रहते थे, अपनी पहली पत्नि की सन्तानों के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या–7 से भी उपेक्षित व्यवहार करते थे और यहां तक कि इन्हे घर से भी निकाल दिया था।

18. यह की उक्त वाद माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर से अन्तरीत होकर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या–1, में दर्ज हुआ, जिसके प्रकरण संख्या–242/1985 थे। इस वाद के विचारण के दौरान पक्षकारान के मध्य संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति के बंटवारे के बाबत राजीनामा हो गया। इस राजीनामे के अनुसार स्व. श्री रोशनलाल जी चतुर की सम्पत्ति का 1/3 हिस्सा श्री पार्श्वचन्द्र जी को और प्रकाशमल जी को 1/3 हिस्सा तथा श्री प्रकाशमल जी के पुत्रों श्री महेन्द्रकुमार, ललीत कुमारजी, अभयकुमार जी, सुरेश कुमार जी, अरविन्द कुमार जी एवं सिद्वार्थ कुमार को 1/18वां हिस्सा प्रत्येक को दिया जाना तय किया गया। राजीनामा जो कि डिक्री का अभिन्न अंग है, कि कलम संख्या 5 में प्रकाशमल जी चतुर के हिस्से का वर्णन किया गया, इसके अनुसारः–

मौजा फतहनगर उर्फ नयाखेडा, तहसील–मावली,

खसरा नम्बर–24, कृषि भूमि एवं मकान	8 बिस्वा
खसरा नम्बर–25, कृषि भूमि	13 बिस्वा
खसरा नम्बर–26 मे से मकान हल्के आबादी	4 बीघा
खसरा नम्बर–26 में से कृषि भूमि	4 बीघा
खसरा नम्बर–27 कृषि भूमि	2 बीघा 8 बिस्वा

मौजा चंगेडी, तहसील–मावली. श्री रोशनलाल जी 22 बीघा 3 बिस्वा चतुर एण्ड सन्स की कृषि भूमि में से

खसरा नम्बर–380, 381, 382. 383 ([illegible])

19. यह कि उक्त सम्पत्ति के अलावा मा[illegible] जी सेहरी में एक दुकान जो शामलाती रखी गई वह हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पत्ति रही। इसके अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

फतहनगर स्थित इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेट्रोल पम्प जो कि चतुर फिलिंग स्टेशन के नाम से है, की वाणिज्यिक सम्पत्ति जो कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है। इन सम्पत्तियों के विभाजन को लेकर वर्तमान में भी स्व. श्री प्रकाशमल जी चतुर के वारिसान के मध्य विभाजन का वाद चल रहा है।

20. यह कि दिनांक 25.04.1990 को आपसी राजीनामें के आधार पर जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई थी और डिक्री के साथ कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर नक्शा बनाया गया था, जिसमें अलग–अलग रंगों से हिस्से तय किए गए थे, किन्तु उसके पश्चात प्रकाश मल जी चतुर के देहावसान के समय जो सम्पत्तिया शेष रही उनका विभाजन नहीं किया गया किन्तु वादीगण ने फर्जी वसीयत बना कर इन सम्पत्तियों का नामान्तरणकरण अपने नाम पर करवा लिया। जबकि जिस आराजियात बाबत वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है, उक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या–7 का भी प्रकाशमल जी चतुर के अन्य वारिसान के साथ अविभाजित हक व हिस्सा है और आज दिनांक तक माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या–1, उदयपुर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के पश्चात अंतिम डिक्री पारित की ही नहीं गई, अंतिम डिक्री के अभाव में वादीगण को न तो नामान्तरणकरण का अधिकार है, न ही अंतिम डिक्री के अभाव में कोई भी वसीयत या अन्य दस्तावेज कानूनन मान्य है। ऐसे में वादीगण का यह वाद इस आधार पर भी प्रतिवादी संख्या 5 व 7 के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है।

21. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद जो वादीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर झूठे अभिवचन कर माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चाई को छिपाकर बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, सव्यय खारिज किए जाने का आदेश प्रदान फरमावे। प्रतिवादी संख्या–5 व 7 को जबरन बिना किसी आधार के वाद की कार्यवाही में संल्पित किए जाने के कारण वादीगण से प्रतिवादीगण को 25000/– रूपया विशेष हर्जाने के तौर पर धारा–35क सीपीसी के तहत दिलाए जावे।

22. **वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 5 व 7 के जवाब का जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि** प्रतिवादीगण का यह कथन कि हम वादीगण द्वारा वास्तविक तथ्यो को छिपा कर वाद वर्णित आराजियात का नायब तहसीलदार सनवाड़ के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपने नाम से नामान्तकरण खुलवा दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि हम वादीगण द्वारा नायब तहसीलदार सनवाड के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सम्बधित वारिसान् को युक्तियुक्त सूचना देकर प्रकरण की पूर्ण सूनवाई करने के उपरान्त न्यायालय उप तहसीलदार सनवाड़ द्वारा हम वादीगण के नाम पर वसीयत में अंकित आराजीयात को हमारे नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किये, उक्त प्रकरण में महेन्द्र कुमार वगैरह द्वारा अपनी ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता भी नियुक्त किये गये, उनकी ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया गया, सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवारी पटवार हल्का फतहनगर एवं चंगेडी से जांच रिपोर्ट भी मंगवाई गई ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण का यह कथन कि हम वादीगण द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर भूमि अपने नाम पर दर्ज करवायी, सरासर गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या–07 एवं प्रकाशमल जी के अन्य वारिसान द्वारा दिनांक–14.12.2009 को न्यायालय उप तहसीलदार सनवाड़ द्वारा उनके यहां विचाराधीन प्रकरण उनवान अरविन्द कुमार बनाम महेन्द्र कुमार वगैरह प्रकरण संख्या–03/2009 किस्म नामान्तकरण में पारित निर्णय के विरूद्व न्यायालय जिला कलेक्टर उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण सख्या–106/2014 अपील (भू–राजस्व) उनवान महेन्द्र कुमार बनाम अरविन्द कुमार वगैरह है जिसे न्यायालय जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा पूर्ण सूनवाई कर दिनांक–19.10.2015 को अस्वीकार किया गया। यह कि श्री ललित कुमार एवं अन्य द्वारा जिनमें (प्रतिवादी सख्या–07 भी अपीलान्ट है) के द्वारा न्यायालय जिला–कलेक्टर उदयपुर द्वारा उनके यहां विचाराधीन प्रकरण सख्या–106/2014 निर्णय दिनांक–19.10.2015 के विरूद्व अपील माननीय संभागीय आयुक्त के न्यायालय में पेश की, जिसके प्रकरण संख्या–149/2015 है, उक्त अपील दिनांक–16.05.2016 को न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा खारिज की जाकर न्यायालय जिला कलेक्टर उदयपुर के दिनांक–19.10.2015 को पारित निर्णय को यथावत रखा गया है। उपरोक्त तथ्यो का वर्णन प्रतिवादी सख्या–05 व 07 द्वारा अपने जवाबदावे में कही पर भी नही किया है, इस वजह से हम वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाब–उल जवाब प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. यह कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में प्रतिवादीगण द्वारा गलत तथ्य का उल्लेख किया है, सुरज कु[illegible]र द्वारा उषा कुमारी चतुर को जो भूमि विक्रय की है वह भूमि इस वाद की [illegible]सी नहीं है। हस्तगत वाद खसरा संख्या–26 रकबा 04 बीघा व 27 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा बाबत् है। यह कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में जिन तथ्यो का उल्लेख किया है वे तथ्य आधे–अधुरे न्यायालय हाजा को बताये है, क्योकि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.स. 1, उदयपुर द्वारा उनके यहां विचाराधीन प्रकरण उनवान महेन्द्र कुमार बनाम प्रकाशमल वगैरह, जिसके प्रकरण संख्या–242/1985 ई.दी. में दिनांक–25.04.1990 को पारित डिक्री में जो हिस्सा महेन्द्र कुमार, ललित कुमार, अभय कुमार, सुरेन्द्र कुमार व अरविन्द कुमार चतुर को मिला, उनमें से पांच भाईयो ने अपना हिस्सा अभय कुमार/उषा कुमारी एवं श्रीमती कांता धन्नावत को विक्रय कर दिया है तथा इन तीनो ने मिल कर इस भूमि पर चतुरबाग आवासीय योजना की प्लानिंग की व उक्त प्लालिंग में 1.17 बीघा पडौस की अर्थात हम वादीगण की भूमि पर कब्जा कर नाजायज पट्टे उठा लिये जिस पर वादी सख्या–01 अरविन्द कुमार द्वारा प्रतिवादी सख्या–5,6 व 7 एवं अन्य के विरूद्ध एक प्रकरण अन्तर्गत धारा–420,467,468, 471, 166, 167, 120 बी. भा०द०स० के तहत् पुलिस थाना–फतहनगर में दर्ज करवाया जिसके एफ.आई.आर नम्बर–214/2014 पुलिस थाना–फतहनगर है। जिसमें पुलिस थाना फतहनगर द्वारा जाँच कर हस्तगत प्रकरण के प्रतिवादी सख्या 5,6 व 7 के विरूद्व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली में जुर्म धारा 420,447,120 बी. भा०द०स० के तहत् अपराध प्रमाणित माना जाकर चार्जशीट पेश की, उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय न्यायिक मजि. मावली के समक्ष विचाराधीन है, जिसके प्रकरण सख्या–274/2017 है. फौ. अनवान सरकार बनाम अभय कुमार वगैरह है। उक्त आपराधिक प्रकरण में भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर, के निर्देशानुसार दिनांक–27.03.2015 को भू–मापक छेदीलाल शर्मा द्वारा तत्कालीन पटवारी श्री मदनसिंह राव एवं तत्कालीन भू–अभिलेख निरिक्षक नाहरसिंह की उपस्थिति में गय रिकार्ड मौजा फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर में स्थित खसरा सख्या–21,22,24,25,26,27,619/15, 625/26 का सीमाकंन किया गया वक्त सीमाकंन मौके पर तत्कालीन थाना अधिकारी श्री रोशनलाल खटीक भी उपस्थित थे। भू–मापक द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उनके द्वारा जिन आराजीयात का सीमाकंन किया गया, उन आराजीयात में राजस्व रिकार्ड में अंकित क्षेत्रफल के मुकाबले मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल में 01 बीघा 17 बिस्वा का अंतर होना पाया, उक्त 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि कड़ी प्लानिंग में होना भू–भापक द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में बताया गया है, इसी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन थाना अधिकारी पुलिस थाना फतहनगर द्वारा प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SeriAttested

सख्या–5,6 व 7 के विरूद्ध हम वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर प्लॉट बेच धोखाधड़ी करना अपनी चार्जशीट में उल्लेखिंत किया है और इसी आधार पर प्रतिवादी सख्या–5,6 व 7 के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय न्यायिक मजि. मावली के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें अभियुक्तगण अर्थात प्रतिवादी सख्या 5,6 व 7 न्यायालय से जमानत पर आजाद है, उक्त उल्लेख प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर अपने द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में नही किया गया है।

24. यह कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में प्रतिवादी सख्या–5,6 व 7 द्वारा तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो एवं नगर पालिका के कर्मचारियो के साथ मिली भगत कर जो फर्जी पट्टे उठाये है उनसे उन्हे किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है, हमारे द्वारा पुलिस थाना फतहनगर में प्रतिवादी सख्या 5,6 व 7 एवं अन्य के विरूद्ध जो प्रकरण दर्ज करवाया है, उक्त प्रकरण की थाना अधिकारी, पुलिस थाना फतहनगर द्वारा सम्पुर्ण जाँच मौके एवं रिकार्ड अनुसार करवाई जाकर प्रतिवादी सख्या–5,6 व 7 के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजि. मावली के समक्ष अपराध अन्तर्गत धारा–420,447,120 बी. भा०द०स० के तहत् चार्जशीट प्रस्तुत की गई है जो प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जैर कार्यवाही है।

25. यह कि जो सम्पति वादीगण को जरिये वसीयत मिली है, उक्त सम्पति में परिवार के अन्य सदस्य हकदार नही है, वसीयत आज दिनांक तक प्रभावी है, जिन्हे अन्य वारिसान द्वारा आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में वसीयत की सत्यताः बाबत् कोई कार्यवाही नही की गई है, जिससे स्पष्ट है कि जो वसीयत वादीगण के पक्ष में अथवा उनके पूर्वाधिकारीयो के पक्ष में निष्पादित की गई है, वे वसीयत पूर्ण रूप से विधि की प्रक्रिया के अनुसरण में होकर प्रभावी है तथा उनके आधार पर वादीगण के नाम पर जो नामान्तकरण की कार्यवाही हुई है वे सही हुई है।

26. यह कि महेन्द्र कुमार द्वारा सम्पति के विभाजन हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का कथन स्वीकार है। परन्तु उक्त वाद में पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो जाने से अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.स. 1, उदयपुर द्वारा उक्त प्रकरण सख्या–242/1985 ई. दी. में दिनांक– 25.04.1990 को डिक्री फरमाया गया जिसमें समस्त पक्षकारान् की आपसी राजीनामे अनुसार सम्पति प्राप्त हुई उक्त डिक्री में समस्त जायदाद का पूर्ण एवं अंतिम रूप से सेटलमेन्ट हुआ, इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

बाद प्रतिवादी सख्या 5,6 व 7 द्वारा पांच भाईयो की जमीन क्रय करके प्लानिंग की।

27. यह कि प्रकरण सख्या–242/1985 अनवान महेन्द्र कुमार बनाम प्रकाशमल वगैरह में न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.स.–1 उदयपुर द्वारा पक्षकारो की आपसी सहमति के आधार पर जो डिक्री पारित की गई है एवं पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से जो–जो हिस्सा अपने पास रखा गया है उक्त तथ्य स्वीकार है।

28. यह कि पक्षकारान् द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष प्रकरण संख्या–242/1985 ई.दी. में प्रस्तुत राजीनामे की कलम सख्या–3 के अनुसार प्रकाशमल जी चतुर एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुरज कुंवर का सम्मिलित रूप से 1/3 हिस्सा रखा गया, उक्त हिस्से का वर्णन प्रतिवादी सख्या 5 व 7 द्वारा अपने जवाबदावे में क्यो किया गया है यह तथ्य समझ से परे है, प्रस्तुत राजीनामें की कलम सख्या 8 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है राजीनामें की कलम सख्या–5,6 व 7 में अंकित हिस्से अनुसार मौके पर पक्षकारो का कब्जा करा दिया गया है, प्रत्येक पक्षकार अपने–अपने हिस्से का पूर्ण स्वामी है तथा अपने हिस्से को बंधक, बैह, बक्षीस आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, अपनी ईच्छा अनुसार अपने हिस्से का उपभोग कर सकेगें, जिसमें कोई भी पक्षकार किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही कर सकेगा। इसी अधिकार का उपयोग कर प्रकाशमल जी द्वारा अपनी सम्पति सुरजकुमारी चतुर को वसीयत की, जिन्होने बाद में वादीगण के पक्ष में वसीयत की। उक्त वसीयत के आधार पर प्राप्त सम्पति को वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कर अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराई, जिसकी पुष्टि न्यायालय जिला–कलेक्टर उदयपुर एवं न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा भी अपने द्वारा पारित निर्णयो में स्पष्ट रूप से की है। ऐसी अवस्था में जब न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश उदयपुर के समक्ष उनके यहां विचाराधीन प्रकरण में समस्त वारिसान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया एवं उक्त राजीनामें पर समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी सख्या 7 एवं अन्य वारिसान् उक्त राजीनामें अनुसार प्रकाशमल जी को प्राप्त सम्पति बाबत् किस आधार पर एतराज कर रहे है यह तथ्य से परे है, जबकि उन्हें इस बाबत् किसी प्रकार का कोई उजर एतराज करने का हक नहीं है क्योकि स्वंय की अभिस्वीकृति से प्रतिवादी सख्या 5 व अन्य द्वारा अपने अधिकारो का त्यजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

किया जा चुका है, स्वंय की अभिस्वीकृति सम्बधित् पक्षकार के विरूद्ध अपने आप में सबसे बड़ा साक्ष्य होती है तथा न्यायालय उप तहसीलदार सनवाड़ के समक्ष वादीगण द्वारा जब वसीयत के आधार पर वसीयत में उल्लेखित भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने की कार्यवाही की तब उक्त कार्यवाही में अन्य वारिसान् की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता द्वारा भी वसीयत में उल्लेखित सम्पति को स्व अर्जित सम्पति माना गया है। उपरोक्त सम्पुर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वसीयत की गई सम्पति वसीयतकर्ता की स्व अर्जित सम्पति है, यह तथ्य स्वंय प्रतिवादी संख्या–7 एवं अन्य वारिसान् की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसका स्पष्ट उल्लेख न्यायालय उप तहसीलदार सनवाड द्वारा प्रकरण सख्या–03/09 में दिनांक–14.12.2009 को पारित निर्णय एवं जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या–106/2014 अपील में पारित निर्णय में किया गया है। ऐसी अवस्था में स्वीकृत तथ्य को साबित करने की कोई आवश्यकता नही है।

29. यह कि जिस विचाराधीन प्रकरण बाबत् प्रतिवादीगण की ओर से उल्लेख किया उक्त प्रकरण के संदर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उनके यहां विचाराधीन प्रकरण S-B- Civil Misc- Appeal No- 2249/2016 में दिनांक–04.04.2017 को पारित निर्णय में माननीय न्यायालय ने प्रकरण सख्या–242/2015 ई.दी. में वर्णित पक्षकारान् के मध्य प्रस्तुत राजीनामे की कलम सख्या–5 को पृथक से न मानते हुऐ उसे राजीनामे का अंग माना था, साथ ही सम्पुर्ण राजीनामे को As-a- whole पढ़ने का निर्णय पारित किया है, जिसका उल्लेख भी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में कही नही किया गया है।

30. यह कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.स. 1, उदयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण अनवान महेन्द्र कुमार बनाम प्रकाशमल वगैरह प्रकरण सख्या–242/1985 ई.दी. में आपसी सहमति के आधार पर डिक्री पारित की गई थी, वह डिक्री प्रारम्भिक नही होकर अन्तिम डिक्री थी, प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत कलम में झूठे एवं गलत तथ्य अंकित किये गये है क्योकि दिनांक–22.02.2018 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.स.–1 द्वारा दिनांक–22.02.2018 को उनके समक्ष पूर्व में विचाराधीन प्रकरण संख्या–242/1985 ई.दी. में वादी [illegible] कुमार के वारिसान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–20 नियम–1 सपठित धारा–151 जा.दी. में पारित आदेश में स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा प्रकरण सख्या–242/1985 ई.दी. में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

समस्त पक्षकारान् के मध्य दिनांक 16.04.1990 को हुऐ राजीनामें के आधार पर दिनांक–25.04.1990 को जो डिक्री पारित की गई उस डिक्री को न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री माना गया है उक्त प्रार्थना–पत्र में प्रतिवादी सख्या 5 अभय कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री पवन कुमार सिंघल पैरवी हेतु उपस्थित हुऐ थे जिससे स्पष्ट है कि दिनांक–22.02.2018 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.स.–1, उदयपुर द्वारा पारित आदेश की स्पष्ट जानकारी है। ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण द्वारा जिन तथ्यो का अवलम्बन लिया गया है वे आधे अधुरे बेबुनियाद होने से स्वीकार करने योग्य नही है, साथ ही हम वादीगण के पक्ष में जो वसीयत निष्पादित की गई है उस वसीयत को वसीयतकर्ता को करने का पूर्ण अधिकार था, यहाँ यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि श्रीमती सुरज चतुर को उक्त सम्पति अपने पति प्रकाशमल जी चतुर से जरिये वसीयत प्राप्त हुई, स्वर्गीय प्रकाशमल जी चतुर को अपने नाम पर दर्ज भूमि को अपनी स्वेच्छा से रहन, बैह, बक्षीस करने का पूर्ण अधिकार या जिसकी पुष्ठि माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.स. 1, उदयपुर के यहां प्रकरण सख्या–242/1985 ई.दी. में समस्त पक्षकारान् द्वारा दिनांक–16.04.1990 को प्रस्तुत राजीनामे की कलम सख्या 8 में स्पष्ट रूप से समस्त पक्षकारान् द्वारा किया गया है।

31. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब–उल जवाब को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करें।

32. प्रकरण में न्यायन निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

    1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज हो प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार नहीं होकर वादीगण की भूमि में दखलन्दाजी करने से वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

    .....वादीगण

    2. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 5, 6 के मौरूस की थी जिसका माननीय जिला न्यायाधीश उदयपुर के यहां प्रकरण सं. 242/1985 विचाराधीन था। स्व. रोशन जी चतुर की सम्पति के विभाजन हेतु राजीनामा अनुसार आंशिक डिक्री जारी हुई है व अंतिम डिक्री जारी नहीं हुई। वादीगण द्वारा उपतहसीलदार से नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punasia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार करा लिया है। वादीगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य हैं।

.....प्रतिवादी सं. 5,6

3. दादरसी।

33. प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई, परन्तु अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 न्यायालय में उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 श्री सिद्धार्थ पिता प्रकाशमल चतुर स्वयं वादी सं. 2, पीडब्ल्यू 2 श्री प्रकाश पिता रामचन्द्र गुर्जर के शपथ पत्र पेश किये। गवाह पीडब्ल्यू 1 द्वारा दस्तावेज मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2068–71 की खाता सं. 9 प्रदर्श 1 करवाये गये।

34. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीस बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

35. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न हैः–

1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज हो प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार नहीं होकर वादीगण की भूमि में दखलन्दाजी करने से वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

   उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री सिद्धार्थ पिता प्रकाशमल चतुर स्वयं वादी सं. 2, पीडब्ल्यू 2 श्री प्रकाश पिता रामचन्द्र गुर्जर के शपथ पत्र पेश किये एवं वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2068–71 की खाता सं. 9 प्रदर्श 1 करवाये गये। जिसमें वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार नहीं है अतः प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार नहीं होने उक्त तनकी वादीगण अपने पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 5, 6 के मौरूस की थी जिसका माननीय जिला न्यायाधीश उदयपुर के यहां प्रकरण सं. 242/1985 विचाराधीन था। स्व. रोशन जी चतुर की सम्पति के विभाजन हेतु राजीनामा अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हुई है व अंतिम डिक्री जारी नहीं हुई। वादीगण द्वारा उपतहसीलदार से नामान्तरण स्वीकार करा लिया है। वादीगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण बिना कोई साक्ष्य पेश किये ही न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा तनकी साबित कराने का प्रयास ही नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णीत की जाती हैं।

36. हमने तनकीयों पर विवेचन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता सं. 9 किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज हैं। वादीगण द्वारा साबित भी यही करवाया गया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं जो दस्तावेज प्रदर्श 1 से साबित होता हैं। दस्तावेज प्रदर्श 1 अनुसार वादीगण खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन का बिन्दु वादीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। चूंकि वादीगण उक्त भूमि के खातेदार है और खातेदारी की भूमि में से प्रतिवादीगण, वादीगण को बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि मौके पर कब्जा वादीगण का ही हो। इसलिए यदि मौके पर कब्जा प्रतिवादीगण का पाया जाता है तो विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती हैं। कब्जे सम्बन्धी अनुतोष धारा 188 राज[illegible]श्तकारी अधिनियम के तहत् नहीं दी जा सकती हैं। कब्जे सम्बन्धी दाद [illegible] करने के लिए वादीगण पृथक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068—71 की खाता सं. 9 किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादीगण, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री अरविन्द कुमार पिता प्रकाशमल चतुर निवासी 21 नवलोक नवरत्न कॉम्पलेक्स, उदयपुर।
2. श्री सिद्धार्थ कुमार पिता प्रकाशमल जी चतुर, आयु वयस्क, निवासी बी 3–ए नवलोक नवरत्न कॉम्पलेक्स, उदयपुर।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री मुकेश चपलोत पिता मांगीलाल चपलोत निवासी नवकार रेस्टोरेन्ट सनवाड रोड फतहनगर तह. मावली।
2. श्री राजेश धर्मावत पिता मदनलाल धर्मावत निवासी राजकीय चिकित्सालय के सामने, मेडिकल स्टोर फतहनगर तह. मावली।
3. श्री मयंक पिता सुन्दरलाल हिंगड निवासी इन्दिरा कॉलोनी फतहनगर, तह. मावली।
4. श्री विजय पिता श्याम सुन्दर सोनी निवासी मेन चौराहा फतहनगर तह. मावली।
5. श्रीमती उषाकुमारी पत्नी अभयकुमार जी चतुर निवासी L–1/10, जयश्री कॉलोनी, उदयपुर।
6. श्रीमती कान्ता पत्नी महेश धन्नावत निवासी 15 अशोक विहार, युनिर्वसीटी रोड उदयपुर।
7. श्री अभय कुमार पिता प्रकाशमल चतुर निवासी L–1/10, जयश्री कॉलोनी, उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 240/14 (वाद)

GCMS No. : 2014/00011

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता सं. 9 किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादीगण, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.10.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested